3/12/16 को पेश हो

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर सिरोंज
में दिनांक 3.12.16 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित हुआ। प्रतिवादी तहसीलदार सिरोंज उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी दोनों की बहस सुनी गई एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी ने अपने दावे में आराजी ख०नं० 4/2 रकबा 5 बीघा कस्बा सिरोंज वादी के पिता स्व. किशोरी पुत्र नत्थू को राष्ट्रीय आवंटन योजना के तहत दि० 16.10.1975 को ब्लॉक एवं तहसील समिति द्वारा आवंटन हुआ था। आवंटन के ख०नं० 4/2 रकबा 5 बीघा पर कब्जा दिया गया। जिसमें 3 बीघा जमीन पर काबिज काश्त बताया। सेटलमेन्ट के दौरान ख०नं० 4/, रकबा 5 बीघा को तरमीम कर ख०नं० 2 रकबा 75 हेक्टेयर तरमीम में गैरखातेदारी ~~से खातेदारी~~ दर्ज की गई है जबकि तहसीलदार सिरोंज ने दोनों पक्षों एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर गत ख०नं० 4/2 रकबा 5 बीघा आवंटन होना पाया जाकर वादी द्वारा ख०नं० 4/, में आवंटन होने का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया। एवं मिलान सेटलमेन्ट में भी 4/2 से नवीन ख०नं० 2 रकबा 75 एयर बनना पाया जाता है।

अतः गत ख०नं० 4/, रकबा 5 बीघा को ख०नं० 2 रकबा 75 एयर वादी द्वारा चाहा गया उचित नहीं है। एवं ~~खातेदारी~~ गैरखातेदारी से खातेदारी के संबंध में नियमानुसार पृथक से प्रकरण प्रस्तुत करते हुए तहसीलदार सिरोंज को निर्धारित शुल्क जमा करते हुए अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।